No. 7/1/2014-3AR
GOVERNMENT OF HARYANA
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Dated Chandigarh, the 6th December, 2016

Subject: Appointment of Commissioner in the Haryana Right to Service Commission.

The Government of Haryana has constituted a body under the Haryana Right to Service Act, 2014, known as the Haryana State Right to Service Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the Act. It is located in Chandigarh. The Commission shall have a Chief Commissioner and upto four Commissioners. The powers and functions of the Chief Commissioner and Commissioner in the Commission shall be as per section 14 of the Act.

It is proposed to appoint a Commissioner in the Haryana Right to Service Commission. This post shall be filled up from the retired officers of the Government of Haryana in the rank and status of a Administrative Secretary or its equivalent rank and status in any of the service of the State, including officers of All India Services from the Haryana cadre.

The Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon the office or until he attains the age of sixty five years whichever is earlier and he shall not be entitled for re-appointment. The salary and allowances payable and other terms and conditions of service applicable to the Commissioner shall be the same as those of the State Information Commissioners as laid down in sub section(5) of the Section 16 of the Right to information Act, 2005.

The Government has constituted a Search Committee to search for and recommend suitable candidate to the Statutory Committee, constituted under section (1) of section 13 of the Haryana Right to Service Act, 2014 for appointment of Commissioner in the Haryana Right to Service Commission.

It is made clear that while applying for the post of Commissioner, the applicant must indicate:

i) Whether any criminal case has been registered against him/her?
If yes, details thereof.

ii) Whether the applicant has been charge sheeted for any criminal offence?
If yes, details thereof.

iii) Whether the applicant has been convicted by any competent court for any criminal offence?
If yes, details thereof.

Persons fulfilling the criteria for appointment as Commissioner and interested for appointment to the post, may send their particulars in the proforma appended to these instructions to the office of Secretary to Government of Haryana, Administrative Reforms Department, Room No. 38, 9th Floor, Civil Secretariat Haryana by 06.01.2017. Person who is serving under State/Central Government or any other organization may send his particulars through proper channel.

Note: The earlier advertisement dated 29.09.2016 has been scrapped. Persons who had applied earlier need to apply afresh for this post.

[The Haryana Right to Service Act, 2014 is available on website (https://csharyana.gov.in)]

Secretary to Government Haryana
Administrative Reforms Department

Proforma for sending application for the post of Commissioner in the Haryana Right to Service Commission.

Please affix the latest passport size photograph

1. Name:
2. Date of Birth:
3. Present Address:

4. Contact No.:
   a) Telephone (along with STD code):
   b) Mobile:
   c) Fax:
5. E-mail Address:
6. Educational qualifications:
7. Area of Eminence:
8. Present Occupation:
9. Whether any criminal case has been registered against you?
   If yes, details thereof.
10. Whether you have been charge sheeted for any criminal offence?
    If yes, details thereof.
11. Whether you have been convicted by any competent court for any criminal offence?
    If yes, details thereof.
12. Achievements/ work Experience:
    (in brief)

Date:
Place:

Signature:
Name:

क्रमांक 7/1/2014–3ए0आर0
हरियाणा सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

दिनांक चण्डीगढ, 6 दिसम्बर, 2016

विषयः – हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त की नियुक्ति बारे।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपें गए कार्यो को करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बॉडीं का गठन किया है जो कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। यह चण्डीगढ में स्थित है। आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा चार आयुक्त तक शामिल होगें। मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों की शक्तियां तथा कार्य अधिनियम की धारा 14 के अनुसार होंगें।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में एक रिक्त आयुक्त के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव है। यह पद प्रशासकीय सचिव की पदवी तथा हैसियत या हरियाणा संवर्ग से अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित राज्य की किन्ही सेवाओं में इसके समकक्ष पदवी तथा हैसियत में हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगें।

आयुक्त पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष अवधि के लिये या जब तक वह 65 वर्ष की आयु का नही हो जाता है, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा। तथा वह पुनर्नियुक्ति के लिये हकदार नही होगा। आयुक्त को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्ते वही होंगी जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा 5 में राज्य सूचना आयुक्तों के लिए अधिकथित है।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त की नियुक्ति के लिए, योग्य उम्मीद्वार की खोज और उसकी सिफारिस, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के अधिन गठित वैधानिक समिति, को करने के लिए सरकार द्वारा एक खोज समिति का गठन किया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी आयुक्त के पद के लिए आवेदन करते समय दर्शायेगा कि:

1. क्या उसके विरूद्ध कोई अपराधिक मामला पंजीकृत है ?
   यदि हॉ, उसका ब्यौरा ।
2. क्या आवेदक किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किया गया है ?
   यदि हॉ, उसका ब्यौरा ।
3. क्या आवेदक को किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है ?
   यदि हॉ, उसका ब्यौरा ।

आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक एवं नियुक्ति के लिए मानदण्डों को पूरा करने वाला व्यक्ति इन हिदायतों के साथ सलंग्न प्रोफार्मा में अपना विवरण, सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासनिक सुधार, कमरा न0 38, नौंवी मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ को दिनांक 06.01.2017 तक भेज सकते है। जो व्यक्ति राज्य/केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अधीन सेवारत है, वह अपना ब्यौरा उचित माध्यम से भिजवायेगा ।

नोटः– पूर्व विज्ञापन दिनांक 29.09.2016 को रद्द कर दिया गया है। जिन्होने पहले आवेदन किया हुआ है उन्हें नये सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है।

(हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 वैबसाईट https://csharyana.gov.in पर उपलब्ध है) ।

सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासनिक सुधार विभाग।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त के पद के लिए प्रोफार्मा

नवीनत्म पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाये

1. नाम :
2. जन्म तिथिः
3. वर्तमान पताः
4. सर्म्पक न0:

   क) दूरभाष (एस0टी0डी0 कोड सहित):

   ख) मोबाईलः

   ग) फैक्सः
5. ई–मेल पताः
6. शैक्षणिक योग्यताः
7. प्रतिष्ठिता का क्षेत्रः
8. वर्तमान व्यवसायः
9. क्या आपके खिलाफ कोई अपराधिक मामला दर्ज है?
   यदि हॉ, तो उसका विवरण।
10. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किये गये है?
    यदि हॉ, तो उसका विवरण।
11. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये है?
    यदि हॉ, तो उसका विवरण।
12. उपलब्धियां / काम करने का अनुभव :
    (संक्षेप में)

दिनांक : हस्ताक्षर

स्थान : नाम :